फाइल नं0-71-1001/96/2020

119/2021/।/90231/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 18 अगस्त, 2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज ,मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में स्थित लेबर रूम काम्प्लेक्स में पुराने आपरेशन थियेटर को उच्चीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज,मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में स्थित लेबर रूम काम्प्लेक्स में पुराने आपरेशन थियेटर को उच्चीकृत कर इम्पोर्टेड एन्टी बैक्टीरियल पैनल द्वारा माड्युलर ओ0टी0 में परिवर्तित किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-228/2018/2736/71-1-2018-जी-367/2014, दिनॉक 11.09.2018 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1674.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 669.63 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2- आपके पत्र दिनांक 13-07-2021 एवं महाप्रबन्धक (वि0) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के पत्र दिनॉक 08.06.2021 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में स्थित लेबर रूम काम्प्लेक्स में पुराने आपरेशन थियेटर को उच्चीकृत कर माड्युलर ओ0टी0 में परिवर्तित किए जाने हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1545.23 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ पैतालिस लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1- प्रायोजना का कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

2- पूर्व में अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत इर्म्पोटेड एन्टी बैक्टीरियल पैनल द्वारा माड्युलर ओ0टी0 का निर्माण किये जाने हेतु रू0 193.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई थी। उक्त के स्थान पर स्वदेश एवं विदेश निर्मित सामग्री के समायोजन से माड्युलर ओ0टी0 बनाये जाने हेतु रू0 64.15 लाख की लागत स्वीकृत की जाती है।

3- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य /कार्यदायी संस्था की होगी।

4- शासनादेश संख्या-228/2018/2736/71-1-2018-जी-367/2014, दिनॉक 11.09.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।